अनिमेष कुमार पराशर, भा.प्र.से.,जिला पदाधिकारी एवं समाहर्त्ता, किशनगंज की अध्यक्षता में दिनांक–16.08.2014 को सम्पन्न जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः– पंजी अनुसार ।

आज की बैठक में गत् मासिक बैठक में दिये गये निदेशों के अनुपालन एवं लंबित कार्यो की स्थिति की समीक्षा की गयी । स्थिति निम्न प्रकार पायी गयी :–

1. बिहार लोक सेवाओं का अधिकार(RTPS) :– माह अगस्त, 2014 मे लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत जिलान्तर्गत सभी प्रखंड / अंचल कार्यालय में दिनांक 16.07.2014 से 15.08.2014 तक का प्राप्त एवं निष्पादित मामलों की स्थिति निम्नवत् है :–

क्र0	अंचल/प्रखंड का नाम	जाति प्रमाण पत्र		आय प्रमाण पत्र		आवासीय प्रमाण पत्र		दाखिल खारिज		भू–स्वामित्व प्रमाण पत्र	
		प्राप्त मामले	निष्पादित मामले	प्राप्त मामले	निष्पादित मामले	प्राप्त मामले	निष्पादित मामले	प्राप्त मामले	निष्पादित मामले	प्राप्त मामले	निष्पादित मामले
1	बहादुरगंज	86	65	113	87	281	252	734	552	79	55
2	दिघलबेंक	302	257	262	187	419	335	427	235	48	37
3	किशनगंज	302	277	135	115	334	299	334	144	99	89
4	कोचाधामन	239	200	208	183	646	595	417	221	138	107
5	पोठिया	143	140	121	113	182	181	385	152	192	188
6	टेढ़ागाछ	133	133	133	120	324	288	223	143	20	15
7	ठाकुरगंज	129	115	88	71	211	182	603	190	149	121

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि बिहार लोक सेवाओं का अधिकार के दायरे में आनेवाले इन सभी मामलों में काफी संख्या में आवेदन लंबित है । समीक्षोपरान्त निदेश दिया गया कि बिहार लोक सेवाओं का अधिकार के अन्तर्गत विगत एक माह में जो भी आवेदन लम्बित है उसे दिनांक 20.08.2014 तक निष्पादित करते हुए प्रतिवेदित करना सुनिश्चित करें ।

(अनुपालन : सभी अंचल अधिकारी/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, किशनगंज जिला/प्रखंड के सभी वरीय पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी)

2. उप विकास आयुक्त–सह– वरीय पदाधिकारी, जन शिकायत के द्वारा सभी पदाधिकारियों/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं अंचल अधिकारियों को निदेश दिया गया कि मुख्यमंत्री सेवा यात्रा/मुख्य मंत्री सचिवालय/आयुक्त महोदय एवं जिला पदाधिकारी के जनता दरबार में प्राप्त परिवाद पत्र विभिन्न पदाधिकारियों एवं प्रखण्डों/अंचलों को जांच हेतु भेजे गये हैं, उन परिवाद पत्रों का एक पक्ष के अन्दर निष्पादन कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए । यह भी निदेश दिया गया कि अगली जिला समन्वय समिति की बैठक में मुख्यमंत्री सेवा यात्रा से संबंधित एक भी परिवाद पत्र का लंबित रहना अपेक्षित नहीं होगा । यह भी बताया गया कि जिला पदाधिकारी के मामलो का जनता दरबार से संबंधित मामले का निषादन 14 दिन में किया जाना चाहिए । लम्बित मामले पदाधिकारी वार निम्न प्रकार है :–

क्र0	विभाग का नाम	मुख्यमंत्री सेवा यात्रा से प्राप्त आवेदन पत्र	मुख्यमंत्री सचिवालय से प्राप्त पत्र	आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ से प्राप्त पत्र	जिला पदाधिकारी के जनता दरबार में प्राप्त आ0पत्र
1	2	3	4	6	7
1	पुलिस अधीक्षक, किशनगंज	2	05	37	25
2	उप विकास आयुक्त, किशनगंज	44	11	06	45
3	अपर समाहर्ता, किशनगंज	179	52	–	26
4	अपर समाहर्त्ता, आपदा, किशनगंज	05	05	–	02
5	सिविल सर्जन, किशनगंज	0	02	–	13
6	अनुमंडल पदाधिकारी, किशनगंज	28	65	34	91
7	निदेशक, डी0आर0डी0ए0, किशनगंज	–	14	01	02

8	भूमि सुधार उपसमाहर्ता, किशनगंज	–	20	14	[illegible]
9	जिला भू–अर्जन, किशनगंज	–	01	01	07
10	जिला अभिलेखाकार किशनगंज	–		–	13
11	जिला पंचायती राज पदाधिकारी, किशनगंज	02	07	01	–
12	प्रभारी पदाधिकारी, बैंकिंग	42	–	–	–
13	जिला परिवहन पदाधिकारी, किशनगंज	–	–	–	03
14	कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, किशनगंज	22	10	–	276
15	समाजिक सुरक्षा, किशनगंज	05	01	01	24
16	जिला स्थापना प्रशाखा, किशनगंज	02	05	02	23
17	जिला आपूर्ति पदा0, किशनगंज	13	07	–	21
18	जिला आपदा, किशनगंज	05	–	–	–
19	जिला सामान्य प्रशाखा, किशनगंज	07	–	–	27
20	जिला नजारत प्रशाखा, किशनगंज	–	–	–	07
21	जिला विकास प्रशाखा, किशनगंज	–	02	02	–
22	जिला विधि प्रशाखा, किशनगंज	–	02	01	10
23	नीलाम पत्र प्रशाखा, किशनगंज	–	01	01	03
24	जिला निर्वाचन प्रशाखा,किशनगंज	02	01	–	–
25	जिला कल्याण पदाधिकारी, किशनगंज	22	05	01	15
26	जिला योजना, किशनगंज	–	07	01	03
27	जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0, किशनगंज	–	11	–	45
28	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), किशनगंज	–	–	–	14
29	जिला कार्यक्रम पदा0, माध्य0 शिक्षा एवं साक्षरता	–	–	–	05
30	अंचल अधिकारी, किशनगंज	–	14	06	42
31	अंचल अधिकारी, बहादुरगंज	–	09	02	13
32	अंचल अधिकारी, ठाकुरगंज	–	02	–	06
33	अंचल अधिकारी, पोठिया	–	04	–	09
34	अंचल अधिकारी, दिघलबैंक	–	–	–	11
35	अंचल अधिकारी, कोचाधामन	–	04	03	23
36	अंचल अधिकारी, टेढ़ागाछ	–	06		02
37	प्रखंड विकास पदाधिकारी, किशनगंज	–	–	04	14
38	प्रखंड विकास पदाधिकारी,, बहादुरगंज	–	09	01	04
39	प्रखंड विकास पदाधिकारी,, ठाकुरगंज	–	–	–	–
40	प्रखंड विकास पदाधिकारी, पोठिया	–	08	–	02
41	प्रखंड विकास पदाधिकारी, दिघलबैंक	–	13	–	02
42	प्रखंड विकास पदाधिकारी, कोचाधामन	–	13	–	18
43	प्रखंड विकास पदाधिकारी, टेढ़ागाछ	–	07	–	–
44	कारा अधीक्षक, किशनगंज	0	–	–	–
45	जिला शिक्षा पदाधिकारी, किशनगंज	83	16	01	29
46	जिला मत्स्य पदाधिकारी, किशनगंज	0	–	–	–
47	जिला कृषि पदाधिकारी, किशनगंज	2	04	01	07
48	जिला पशुपालन पदाधिकारी, किशनगंज	2	–	–	–
49	कार्यपालक अभियंता,पी.एच.ई.डी., किशनगंज	4	07	–	–
50	कार्यपालक अभियंता, ग्रा0कार्य विभाग–1., किशनगंज	3	–	–	–
51	उत्पाद अधीक्षक, किशनगंज	–	02	–	–
	कुल ::	469	357	121	995

(अनुपालन : सभी संबंधित पदाधिकारी, किशनगंज जिला)

सम्पर्क पथ योजना – पथविहीन टोलों/मुहल्लों को मुख्य पथ से जोड़ने हेतु सम्पर्क पथ निर्माण के लिए रैयती सरकारी भूमि की आवश्यकता है । इस संबंध में सभी अंचलाधिकारियों को निदेश दिया गया कि वे पथविहीन टोलों/मुहल्लों को मुख्य पथ से जोड़ने के लिए अपना–अपना प्रस्ताव अनुमानित व्यय के साथ अगली बैठक के पूर्व जिला को समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे ।

(अनुपालन : सभी अंचल अधिकारी, किशनगंज जिला)

4. **महादलित विकास योजना** :– सरकार के द्वारा इस योजना को पुनः वर्ष 2014–15 के लिए भी विस्तारित किया गया है । महादलित विकास योजनान्तर्गत रैयती भूमि का क्रय, गृहस्थल योजनान्तर्गत रैयती भूमि का क्रय, सम्पर्क पथ योजनान्तर्गत रैयती भूमि में अर्जन एवं अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक(सम्पर्क पथ) मद में वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए उपलब्ध कराये गये राशि के विरूद्ध व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं भौतिक प्रतिवेदन गत बैठक में दिए गए निदेश के बावजूद अप्राप्त है । तदानुरूप प्रतिवेदन शीघ्र उपलब्ध कराने का निदेश हुआ ।

(अनुपालन : सभी अंचल अधिकारी, किशनगंज जिला)

5. **राजस्व वसूली** :– वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए राजस्व संग्रह का कुल लक्ष्य के अनुरूप माह जुलाई, 2014 तक अंचलवार प्रगति प्रतिवेदन निम्न प्रकार है :–

क्र0	अंचल का नाम	कुल मांग	कुल वसूली	प्रतिशत
1	2	3	4	5
1	किशनगंज	54,40,612.94	2,67,003.70	4.91
2	कोचाधामन	72,75,802.80	2,35,222.00	3.23
3	बहादुरगंज	85,35,920.45	1,67,097.00	1.96
4	दिघलबैंक	67,15,880.69	2,21,409.00	3.30
5	ठाकुरगंज	10,50,3720.71	1,63,646.00	1.56
6	पोठिया	89,89,295.12	2,77,993.00	3.09
7	टेढ़ागाछ	49,70,375.20	1,96,586.00	3.96
कुल ::		**5,24,31,608.00**	**15,28,957.00**	**2.92**

लगान वसूली में सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार अगस्त माह तक 33 प्रतिशत की वसूली होनी चाहिए थी, किन्तु वसूली का प्रतिशत किसी भी अंचल द्वारा प्राप्त नहीं किया गया है जो काफी असंतोषजनक है । सबसे कम लगान वसूली का प्रतिशत ठाकुरगंज एवं बहादुरगंज अंचल का है। सभी अंचलाधिकारी को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सार्थक प्रयास करने का निदेश दिया गया ।

(अनुपालन : सभी अंचलाधिकारी, किशनगंज जिला)

6. **शस्त्र अनुज्ञप्तियों का डाटाबेस निर्भरता** :– अपर समाहर्त्ता द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय सूचना केन्द्र द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर पर National Data Base of Arms License के क्रियान्वयन हेतु संबंधित शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों से विहित प्रपत्र में डाटा बेस तैयार करने हेतु सभी अंचलाधिकारियों को पूर्व में निदेश दिया गया था । पुनः सभी अंचलाधिकारियों को निदेश दिया गया कि वे अवशेष अनुज्ञप्तिधरियों का डाटाबेस दिनांक 18.08.2014 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। 20 अगस्त के बाद डाटाबेस अनुज्ञप्ति कोड मान्य होगा । जो अनुज्ञप्तिधारी विधिवत सूचना उपलब्ध नहीं करायेंगे उस स्थिति में उनका अनुज्ञप्ति स्वतः रद्द माना जायेगा ।

(अनुपालन : सभी अंचलाधिकारी, किशनगंज जिला)

7. **अतिक्रमण** :– यातायात के दृष्टिकोण से शहर में यातायात व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए व शहरवाशियों को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए तथा सरकारी भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्धता की कमी हेतु नगर परिषद

क्षेत्रान्तर्गत अतिक्रमणकारियों द्वारा अतिक्रमित भूमि को खाली कराये जाने के बिन्दु पर समीक्षा की गई । इस क्रम में अनुमंडल पदाधिकारी, किशनगंज को निदेश दिया गया कि जो अस्थायी अतिक्रमित भूमि है उसे बिना स. बल का प्रयोग किए खाली करवा लें एवं जो स्थायी अतिक्रमित भूमि है उन्हें खाली करवाने के लिए माईकिंग से पर्याप्त प्रचार-प्रसार करवाकर अतिक्रमित भूमि को खाली करवाने की दिशा में नियमानुसार अग्रेतर कारंवाई करवाना सुनिश्चित करेंगे । इसके अलावे यह भी निदेश दिया गया कि कई स्थानों में बिहार सरकार की जमीन पर लोगों ने पक्का मकान बनवाया है उन्हें भी खाली करवाने हेतु तिथि निर्धारित करते हुए विधिवत प्रक्रिया का पालन करते हुए सूचना निर्गत करेंगे अनुमंडल पदाधिकारी/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, किशनगंज/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, किशनगंज एवं सभी अंचलाधिकारियों को निदेश दिया गया कि कार्यालय के अभिलेख में पूर्ण छानबीन कर अतिक्रमण वादों की पंजी से मिलान करते हुए वास्तविक रूप से लम्बित अतिक्रमण वादों की संख्या का पता लगावें एवं अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई भी भू-अतिक्रमण अधिनियम के तहत विधिवत रूप से कराना सुनिश्चित करें ।

(अनुपालन : सभी अंचलाधिकारी, किशनगंज जिला/ अनुमंडल पदाधिकारी/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, किशनगंज/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, किशनगंज)

8. **नीलाम पत्र वाद** :- नीलाम पत्र वादों के निष्पादन की समीक्षा के क्रम पर धीमी प्रगति पर खेद प्रकट किया गया । जिले के सभी नीलाम पत्र पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि प्राथमिकता के आधार पर नीलाम पत्र वादों के शीघ्र निष्पादन हेतु सप्ताह में 04(चार) दिन न्यायालय कार्य करें, बकायेदारों के विरूद्ध नोटिस/वारंट का शीघ्र तामिला करायें । समीक्षा के क्रम में सभी नीलाम पत्र पदाधिकारी का लक्ष्य निर्धारित करते हुए निदेश दिया गया कि वे 20(बीस) बड़े-बड़े बकायेदारों को चिन्हित कर उसकी सूची तैयार उन पर विधिसम्मत कार्रवाई करें । विलम्ब की स्थिति में अधोहस्ताक्षरी को संसूचित करें जिससे पुलिस अधीक्षक, किशनगंज से अपेक्षित सहयोग लिया जा सके । बड़े बकायेदारों पर कार्रवाई प्रारम्भ करें । इससे जहाँ राशि की शीघ्र वसूली होगी वहीं बड़े देनदार अनुशासित होकर सहयोग करेंगे । इससे प्रभावित होकर छोटे-छोटे देनदार भी राशि जमा करने के लिए उत्प्रेरित होंगे ।

(अनुपालन : सभी नीलाम पत्र पदाधिकारी, किशनगंज जिला)

9. **गैर-मजरूआ खास भूमि** :-अपर समाहर्त्ता, किशनगंज द्वारा गैर-मजरूआ खास भूमि के संबंध में बताया गया कि गैर-मजरूआ खास भूमि में जितनी भूमि (शुल्क द्वारा स्थानान्तरित भूमि व निःशुल्क विभागीय स्थानान्तरण द्वारा स्थानान्तरित भूमि) दोनों तरह का प्रतिवेदन की मांग की गई है । सभी अंचलाधिकारियों को निदेश दिया गया कि गैर-मजरूआ खास भूमि में अब तक वितरित की गई भूमि को घटाते हुए दोनों तरह का प्रतिवेदन(सशुल्क/निःशुल्क) अविलम्ब भेजना सुनिश्चित करें ताकि इस स्तर से प्रतिवेदन सरकार को ससमय भेजा जा सके ।

(अनुपालन : सभी अंचल अधिकारी, किशनगंज जिला)

10. **प्राथमिक कृषि साख समिति(पैक्स)** :- उप विकास आयुक्त, किशनगंज द्वारा बताया गया कि बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के पत्र संख्या 488 दिनांक 07.07.2014 से मतदाता सूची तैयार करने के लिए कट-ऑफ तिथि 31.07.2014 निर्धारित की गई है । प्राधिकार द्वारा पैक्स का निर्वाचन कार्यक्रम निर्गत किया जा चुका है । इस निर्वाचन से जुड़े सभी पदाधिकारी सम्यक रूप से निर्वाचन का संचालन कर सकें इस उदेश्य से प्राधिकार द्वारा सभी संबंधित पदाधिकारियों यथा-नोडल पदाधिकारी/जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी को पैक्स साख सहयोग समितियाँ

निर्वाचन, 2014 के द्वारा स्कांडा बिज्नेस सेन्टर, सोन भवन, पटना में दिनांक 12.08.2014 को प्रशिक्षित किया गया है । किशनगंज जिलान्तर्गत निम्नांकित तिथियों को मतदान की तिथि निर्धारित की गई है :–

(i) दिनांक–29.09.2014(सोमवार) :: बहादुरगंज एवं टेढ़ागाछ प्रखंड (प्रथम चरण)

(ii) दिनांक–13.10.2014(सोमवार) :: कोचाधामन प्रखड (चतुर्थ चरण)

(iii) दिनांक–15.10.2014(बुधवार) :: ठाकुरगंज एवं दिघलबैंक प्रखंड (पंचम चरण)

(iv) दिनांक–19.10.2014(रविवार) :: पोठिया एवं किशनगंज प्रखंड (षष्ठम चरण)

<u>प्राथमिक कृषि साख समिति के निर्वाचन हेतु निर्धारित गतिविधियाँ</u>

क0	कार्यक्रम	तिथि
1	प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति द्वारा प्रपत्र–MI में सदस्यता सूची जिला सहकारिता पदाधिकारी को उपलब्ध कराना	05.08.2014
2	जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा उक्त सूची का सत्यापन कर अथवा उक्त सूची को स्वयं तैयार कर उसे निर्वाचन पदाधिकारी को उपलब्ध कराना	09.08.2014
3	निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रारूप मतदाता सूची का विहित स्थलों पर प्रकाशन	11.08.2014
4	आम नोटिस का प्रकाशन जिसमें मतदाता सूची के संबंध में दावे/आपत्तियाँ प्राप्त करने की तिथि और प्राप्त दावे/आपत्तियों के निष्पादन की तिथि अंकित हो	11.08.2014
5	दावे/आपत्ति दाखिल करने की अवधि	19.08.2014
6	दावे/आपत्ति के निष्पादन के बाद मतदाता सूची का अन्तिम प्रकाशन	30.08.2014

समीक्षोपरान्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेश दिया गया कि सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी उपर्युक्त अंकित तिथियों के अनुसार अग्रेतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करें । उप विकास आयुक्त सह नोडल पदाधिकारी के द्वारा स्पष्ट किया गया कि निर्वाचन कार्य चरणबद्ध तथा कालबद्ध होता है, इसलिए इसमें सतर्क एवं ससमय कार्य निर्वहन अनिवार्य है ।

(अनुपालन : सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी अंचलाधिकारी, किशनगंज जिला)

11. समीक्षा के क्रम में अपर समाहर्त्ता द्वारा कहा गया कि गत राज्य स्तरीय बैठक दिनांक 28.07.2014 में मुख्य सचिव के द्वारा समीक्षा की गई थी । उक्त बैठक में दिये गये निदेशों की प्रति सभी अंचलाधिकारियों को उपलब्ध कराया गया था । उसका अनुपालन प्रतिवेदन अंचलों से अद्यतन अप्राप्त है जो अत्यन्त ही खेद का विषय है । पुनः दिनांक 25.08.2014 को मुख्य सचिव के द्वारा इसकी समीक्षा की जायेगी । सभी अंचलाधिकारियों को निदेश दिया गया के मुख्य सचिव के द्वारा दिये गये निदेशों का अनुपालन प्रतिवेदन तीन दिनों के अन्दर भेजना सुनिश्चित करें ताकि मुख्य सचिव की अगले समीक्षात्मक बैठक में अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित किया जा सके ।

(अनुपालन : सभी अंचल अधिकारी, किशनगंज जिला)

12. चौकीदार/दफादार की नियुक्ति की प्रक्रिया को शीघ्र चालू करने के लिए उप समाहर्त्ता प्रभारी, जिला सामान्य प्रशाखा को निदेशित किया गया कि चौकीदार/दफादार के स्वीकृत पद के विरूद्ध जो रिक्त पद है उसका रोस्टर तैयार करना सुनिश्चित करें ।

(अनुपालन : उप समाहर्त्ता प्रभारी, जिला सामान्य प्रशाखा, किशनगंज)

13. **ग्रामीण विकास शिविर** :– जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि ग्रामीण विकास शिविर में ग्राम सभा के माध्यम से ग्रामीणों को विकास योजनाओं की जानकारी देने के साथ–साथ उनके द्वारा उठाये गये विषयों एवं समस्याओं का स्थल पर ही विभिन्न विभागों से आपसी समन्वय कर समाधान किया जाना है लेकिन टेढ़ागाछ प्रखंडान्तर्गत शिविर का

आयोजन नहीं किये जाने की शिकायत मिला है । निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, किशनगंज क दिया गया कि वे इस संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी,टेढ़ागाछ से स्पष्टीकरण प्राप्त करें ।

(अनुपालन : निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, किशन

14. **इन्दिरा आवास :-**

(i) उप विकास आयुक्त द्वारा बताया गया कि वर्ष 2004-05 से 2013-14 तक की इन्दिरा आवास अभिलेख की जांच कर प्रतिवेदित करने का निदेश पूर्व के बैठकों में दिया गया था कि अब तक कितने लाभुकों को आच्छादित किया गया एवं इसके विरूद्ध कितना व्यय हुआ, अप्राप्त है । निदेश दिया गया कि वर्ष वार रोकड़ बहियों की जांच कर लें एवं उसी के आधार पर लाभुकों की पूर्ण विवरणी तैयार कर प्रतिवेदन अगली बैठक के पूर्व अनिवार्य रूप से दें । यदि रोकड़ बही एवं योजना पंजी वर्णित अवधि का संधारित नहीं है तो दोषी व्यक्तियों को चिन्हित करते हुए उनके विरूद्ध विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करें एवं एक सप्ताह के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करें ।

(ii) **शौचालय** :- वित्तीय वर्ष 2013-14 के इन्दिरा आवास के लाभुकों के लिए शौचालय का निर्माण किये जाने के संबंध में गत बैठक में समीक्षा की गयी थी एवं निदेशित किया गया था कि इस लक्ष्य को शीघ्र प्राप्त किया जाए। इंदिरा आवास के साथ-साथ शौचालय का निर्माण कराना है। खुले मैदान में शौच करने से आम नागरिक को मुक्त करने के लिए शौचालय का निर्माण इंदिरा आवास के साथ ही कराने का निदेश दिया गया था । प्रखंडवार उपलब्धि की समीक्षा की गयी तथा उपलब्धि अत्यन्त असंतोषजनक पायी गयी । जिला पदाधिकारी द्वारा निदेशित किया गया कि इसमें राशि उपलब्ध करायी जा चुकी है अतः लाभुकों के शौचालय निर्माण का लक्ष्य शत-प्रतिशत प्राप्त किया जाय। यह भी निदेश हुआ कि अगली बैठक में इसकी उपलब्धि प्रखंडवार अलग से प्रस्तुत की जाए ।

(iii)गत बैठक में निदेश दिया गया था कि वर्ष 2012-13 तक के लंबित इंदिरा आवास के लाभुकों को निर्धारित प्रक्रियानुसार नोटिस निर्गत करें तथा इसके बाद भी अगर इन्दिरा आवास निर्माण कार्य को पूरा नहीं किया जाता है तो उनके विरूद्ध नीलाम पत्र दायर करें।

(iv)प्रखंड विकास पदाधिकारी, दिघलबैंक द्वारा बताया गया कि पत्थरघाटी-पलासमनी में कुल 31 बाढ़ से प्रभावित वासित परिवार(घर) हैं । इन परिवारों को पुर्नवास के लिए जमीन की व्यवस्था करने के संबंध में समीक्षा की गई । बताया गया कि 10-15 परिवारों को पूर्व में इन्दिरा आवास आवंटित किया जा चुका है । निदेश दिया गया कि जिन्हें इन्दिरा आवास नहीं मिला है उन्हें अविलंब इंदिरा आवास उपलब्ध करायें किन्तु यह देख लिया जाए कि ऐसे कितने परिवार है जिन्हें पूर्व में इसका लाभ मिल चुका है, तथा उनके आवास की क्या स्थिति है। तत्पश्चात् ऐसे परिवारों की सूची अलग से भेजी जाए तथा यह भी निदेश दिया गया कि जो अग्निकांड से प्रभावित हैं उन्हें भी इन्दिरा आवास नियमानुसार आवंटित किए जाए।

(v) **आवास सॉफ्ट** :- इन्दिरा आवास योजना के प्रबंधन, मूल्यांकन तथा अनुश्रवण कार्य हेतु बाह्य एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराये गये MIS Officer को कार्य करने हेतु आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराये गए हैं । इन्दिरा आवास से संबंधित कार्यो को मूल रूप से प्रखण्ड कार्यालय द्वारा निष्पादित किया जाता है । आवास सॉफ्ट पर इन्दिरा आवास योजना का कार्य अपलोड करने आदि का कार्य करने के लिए सभी प्रखण्डों में कार्यपालक सहायक हैं ।

(vi)**सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit)** :-उप विकास आयुक्त द्वारा सामाजिक अंकेक्षण के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई एवं बताया गया कि ग्रामीण विकास विभाग का पत्रांक 293769/ग्रा0वि0-5/इं0आ0यो0(लक्ष्य निर्धारण)-102-06/2014 दिनांक 23.07.2014 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए इंदिरा आवास के भौतिक लक्ष्य की शत् प्रतिशत उपलब्धि हेतु कालबद्ध कार्यक्रम का निर्धारण किया गया है जो निम्न प्रकार है :-

(a) **सामाजिक अंकेक्षण(दिनांक 15.07.2014 तक**—सामाजिक अंकेक्षण का कार्य पूर्ण कर लेना है .

(b) **चयन सूची को अंतिम रूप देना (दिनांक 30.07.2014 तक)**—पूर्व के वर्षो में लक्ष्य का डेढ़ गुणा लाभुकों का चयन करने कानिदेश दिया गया था किन्तु चूँकि वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए लाभुकों का चयन, सामाजिक अंकेक्षण के पश्चात किया जा रहा है अतएव लक्ष्य के अनुरूप ही लाभुक का चयन किया जाना है ।

(c) **सूची को आवास सॉफ्ट वा अपलोड करना (दिनांक 07.08.2014 तक)**—लक्ष्य के अनुरूप चयनित लाभुकों को आवास आवंटन की स्वीकृति प्रदान कर आवास सॉफ्ट पर कोटिवार(अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, विकलांग एवं सामान्य) अपलोड किया जाना है । इसमें ध्यान रखा जायेगा कि भारत सरकार की मार्गदर्शिका में निहित प्रावधान के अनुसार लाभर्थियों का चयन किया गया है ।

(d) **लाभुकों को आवास आवंटन की स्वीकृति की सूचना देना (दिनांक 15.08.2014)**—लाभुकों को इंदिरा आवास आवंटन की स्वीकृति की सूचना, जिसमें शपथ–पत्र, फोटोग्राफी एवं बैंक खाता खोलने हेतु तिथि भी अंकित हो, स्थानीय चौकीदार एवं ग्रामीण आवास सहायक के माध्यम से तामिला कराया जाना है एवं इसकी पावती अभिलेख में संधारित की जानी है ।

(e) **शपथ पत्र, फोटोग्राफी एवं बैंक खाता खोलने संबंधी कार्य (दिनांक 15.09.2014 तक)**—लाभुकों का बैंक खाता खोलने के लिए बैंक शाखाओं के साथ समन्वय कर खाता खुलवाना सुनिश्चित किया जायेगा एवं शपथ–पत्र एवं फोटोग्राफी की भी व्यवस्था की जायेगी।आवश्यकतानुसार इसके लिए पंचायतवार शिविर भी लगाया जा सकता है।

(f) **लाभुकों के बैंक खाता का विवरण आवास साफ्ट पर अपलोड करना (दिनांक 22.09.2014 तक)**—लाभुक के बैंक खाता का विवरण IFSC Code सहित हर हाल में दिनांक 22.09.2014 तक आवास सॉफ्ट पर अपलोड किया जाना है ताकि लाभुक को सहायता राशि के हस्तांतरण एवं भुगतान आदि की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं हो । बैंक खाता का विवरण अपलोड करते समय अत्यधिक सावधानी बरती जाय क्योंकि इस बार लाभुकों को राशि का भुगतान System Generated Advice के आधार पर ही किया जायेगा । किसी भी परिस्थिति में हस्तलिखित Advice का उपयोग नहीं किया जायेगा । राशि का अंतरण NEFT/RTGS के माध्यम से किया जायेगा ।

(g) **Freezing of Bank A/C on Awas Soft (दिनांक 25.09.2014 को)**—लाभुक के बैंक खाता का विवरण IFSC Code सहित को अपलोड करने का कार्य दिनांक 25.09.2014 को Freeze कर दिया जायेगा । इस तिथि के बाद लाभुक के बैंक खाता को आवास सॉफ्ट पर अपडेट नहीं किया जा सकेगा ।

(h) **लाभुकों के बैंक खाता में RTGS/NEFT के माध्यम से सहायता राशि का हस्तांतरण (दिनांक 02.10.2014 को)**—वर्ष 2014–15 के लक्ष्य के अनुरूप सभी लाभुकों को प्रथम किस्त की देय सहायता राशि का हस्तांतरण RTGS/NEFT के माध्यम से लाभुकों के बैंक खाता में दिनांक 02.10.2014 को सुनिश्चित किया जायेगा ।

उपर्युक्त चरणबद्ध एवं कालबद्ध कार्यक्रम के अनुसार वर्ष 2014–15 के लिए शत प्रतिशत भौतिक लक्ष्य को प्राप्त कर लेना है । इस तिथि के पश्चात लाभुकों को आवासों की स्वीकृति हेतु कोई अन्य कार्यक्रम निर्धारित नहीं किये जायेंगे । अतएव सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि यह उनकी व्यक्तिगत जवाबदेही होगी तथा इसमें की गई कोताही एवं उपर वर्णित कार्यक्रमों के तहत शत–प्रतिशत उपलब्धि

प्राप्त नहीं करने वाले प्रखंड विकास पदाधिकारियों का चिन्हित कर उनके विरूद्ध कठोरतम कार्रवाई प्रखंडों के प्रभारी वरीय उप समाहर्त्ता साप्ताहिक समीक्षा कर इस व्यवस्था का अनुपालन करायेंगे ।

(अनुपालन : सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, किशनगंज जिला/प्रखंडों के प्रभारी वरीय उप समाहर्त्ता

16\. **जिला परिषद** :-

(i) गत बैठक में समीक्षा के क्रम में उप विकास आयुक्त द्वारा बताया गया था कि प्रखंडों से जिला परिषद को भेजे जाने वाले मासिक प्रगति प्रतिवेदन टेढ़ागाछ/पोठिया एवं कोचाधामन से अब तक अप्राप्त है जो अत्यन्त ही खेदजनक स्थिति है। जिला पदाधिकारी द्वारा संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी का वेतन अगले आदेश तक स्थगित रखते हुए निदेश दिया गया कि मासिक प्रगति प्रतिवेदन ससमय भेजना सुनिश्चित करें ताकि तद्नुसार इस स्तर से प्रतिवेदन ससमय सरकार को भेजा जा सके । इससे संबंधित प्रतिवेदन अप्राप्त है ।

(अनुपालन : प्रखंड विकास पदाधिकारी, टेढ़ागाछ/पोठिया एवं कोचाधामन)

(ii) गत बैठक में बी0आर0जी0एफ0 योजनान्तर्गत कोचाधामन प्रखंड से वर्ष 2014-15 का वार्षिक कार्य योजना अप्राप्त रहने के कारण निदेश दिया गया था कि वर्ष 2014-15 का वार्षिक कार्य योजना दिनांक 16.07.2014(मंगलवार) तक भेजना सुनिश्चित करें ।

(iii) गत बैठक में बी0आर0जी0एफ0 योजनान्तर्गत सभी प्रखंड विकास पदाधिकारीं को निदेश दिया गया था कि वे वर्ष 2013-14 का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं भौतिक/वित्तीय प्रतिवेदन अविलम्ब जिला को भेजना सुनिश्चित करें । इसका अनुपालन लंबित है ।

(iv) समीक्षा के क्रम में रिपोटिंग में थोड़ा संवेदनशील होने का निदेश दिया गया। बी.आर.जी.एफ , तेरहवें वित्त आयोग एवं चतुर्थ वित्त आयोग ,पंचायत सचिव की बैठक कर कार्यवाही तैयार कर उप विकास आयुक्त को साप्ताहिक प्रतिवेदन उपलब्ध कराने को कहा गया। वर्तमान में नगर परिषद् के द्वारा भी बैठक नहीं की जा रही है। ठाकुरगंज नगर पंचायत के द्वारा भी कोई प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया जा रहा है जो खेद का विषय है। प्रखंड विकास पदाधिकारी/जिला योजना पदाधिकारी एवं प्रखंडों के वरीय पदाधिकारी को अनुपालन के लिए इस संबंध में आवश्यक निदेश दिया गया।

(अनुपालन : सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, किशनगंज जिला)

(v) समीक्षा के क्रम में उप विकास आयुक्त द्वारा बताया गया कि कोचाधामन प्रखंडान्तर्गत बुआहलदह पंचायत के पंचायत सचिव श्री जय प्रकाश सिंह के द्वारा 13वें वित्त आयोग में योजना संख्या 47/2013-14 के तहत मो0 4,99,300.00(चार लाख निन्यानवे हजार तीन सो) रूपये से बड़ीजान प्रधान मंत्री सड़क से कमरूज्जमा समिति के खलिहान तक पी0सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य होना था लेकिन पंचायत सचिव-सह-संवेदक श्री जय प्रकाश सिंह द्वारा दिनांक 10.04.2014 को मो0 20,000.00 रूपये, दिनांक 23.04.2014 को मो0 10,000.00 रूपये एवं दिनांक 02.05.2014 को मो0 2,00,000.00 रूपये की राशि अर्थात् कुल मो0 2,30,000.00(दो लाख तीस हजार) रूपये अग्रिम लेकर काम नहीं कराया गया है इसकी सम्पुष्टि प्रखंड विकास पदाधिकारी, कोचाधामन द्वारा की गई है । प्रखंड विकास पदाधिकारी, कोचाधामन को निदेश दिया गया कि अगले एक सप्ताह के अन्दर यदि पंचायत सचिव के द्वारा ली गई राशि का समायोजन नहीं किया जाता है तो उनके विरूद्ध विधिवत विधिक कार्रवाई प्रारम्भ की जाय एवं 12.50 प्रतिशत सूद सहित राशि वसूली की जाय तथा दिनांक 24.08.2014 तक अनुपालन प्रतिवेदन उप विकास आयुक्त के समक्ष उपस्थापित किया जाय ।

(अनुपालन : प्रखंड विकास पदाधिकारी, कोचाधामन)

एम०एस०डी०पी० –

(i) गत बैठक में उप विकास आयुक्त द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को बताया गया था कि प्रत्येक जिला समन्वय समिति की बैठक में विषयवार प्रतिवेदन भेजने हेतु उनके पत्रांक 1405/डी.आर.डी.ए. दिनांक 06.08.2013 द्वारा जिला पदाधिकारी के निदेशानुसार एक 25 पृष्ठों का प्रपत्र भेजा गया था । इसी प्रपत्र में प्रतिवेदन भेजने हेतु जिला पदाधिकारी का निदेश था । यदि जानकारी न हो या प्रपत्र प्राप्त नहीं हुआ हो तो डी०आर०डी०ए० से इसकी प्रति पुनः प्राप्त कर उसी प्रपत्र में प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें । पुनः निदेश दिया गया कि इसका अनुपालन शतप्रतिशत करना सुनिश्चित करें ।

(ii) बताया गया कि अल्पसंख्यक बहुक्षेत्रीय विकास योजनान्तर्गत योजनाओं की जांच एवं अनुश्रवण हेतु प्रखंडवार जांच दल गठन किया गया है । जांच दल से संबंधित पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि जांच में दोषियों को चिन्हित किया जाए एवं गबन / अनियमितता की राशि का स्पष्ट आकलन करते हुए अधोहस्ताक्षरी को स्पष्ट प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें । साथ ही सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि उनके प्रखण्डान्तर्गत जो भी एम०एस०डी०पी० योजना कार्यान्वित करायी गयी है उससे संबंधित अभिलेख यदि जांच दल द्वारा मांग की जाय तो उन्हें अभिलेख अवश्य उपलब्ध करावें । उप विकास आयुक्त के द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को स्मारित किया गया कि विगत बैठकों में निदेश दिए जाते रहे हैं कि योजनाओं के कार्यान्वयन की वास्तविकता की स्थलीय जॉच समय–समय परकरना सुनिश्चित करें । इस संबंध में पुनः निदेशित किया गया कि योजनाओं की स्थलीय जांच की जाए ताकि यह जानकारी उपलब्ध हो सके कि निर्धारित स्थल पर कार्य हो रहा है, ली गई राशि का उपयोग हो रहा है, तथा योजना की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। यह भी निदेश दिया गया कि जॉच के क्रम में यदि यह पाया गया कि योजनाओं का चयन त्रूटिपूर्ण तरीके से किया गया है तो प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा सम्प्रेषित प्रस्ताव त्रूटिपूर्ण है, योजनाओं के लिए प्रस्तावित स्थल की जांच किये बिना प्रस्ताव दिया गया हो तो संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारियों की संलिप्तता मानते हुए उनकी जवाबदेही निर्धारित की जायेगी तथा उनके विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जायेगी ।

(अनुपालन : सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, किशनगंज जिला)

18. निदेशित किया गया कि केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार से जो भी राशि उपलब्ध करायी जा रही है उस राशि का उपयोग उसी कार्य में किया जाय । किसी भी परिस्थिति में राशि का विचलन नहीं किया जाय ।

19. सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि उनके द्वारा जो भी मांग हो वे पूर्व आवंटित राशि का सभी अभिश्रव/मापी पुस्त एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करवा कर आपना मांग पत्र समर्पित कर सकते हैं ।

20. **आपदा** :–

(a) प्रखंड विकास पदाधिकारी, कोचाधामन द्वारा बताया गया कि गए रात मूसलाधाधर बारिश के कारण कोचाधामन के पास एक सड़क कुट्टी के बगल में कट रहा है जिससे वहाँ का जन–जीवन प्रभावित होने से इन्कार नहीं किया जा सकता है । कार्यपालक अभियंता, जल निस्सरण को उक्त स्थल पर बसे जन–जीवन प्रभावित न हो उसकी सुरक्षात्मक कार्रवाई करने हेतु पत्र निर्गत करने के लिए प्रभारी पदाधिकारी, जिला आपदा को निदेश दिया गया ।

(b) पोठिया प्रखण्डान्तर्गत प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क का डोंक नदी के द्वारा कटाव के संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा बताया गया जो चिचुआबाड़ी सड़क से बक्साबाड़ी तक है एवं यह पथ ग्रामीण कार्य विभाग–2 का है । अधोहस्ताक्षरी द्वारा उप विकास आयुक्त को निदेश दिया गया कि वे उक्त स्थल की स्थलीय जांच कर आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें ।

21. **पशुगणना** :–गत बैठक में 19वीं पशुगणना 2012 का व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रखंड–कोचाधामन/टेढ़ागाछ एवं ठाकुरगंज से अप्राप्त था साथ ही 17वीं पशुगणना, 2003 का व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण प्रखंड–पोठिया/दिघलबैंक/किशनगंज एवं ठाकुरगंज से भी प्रतिवेदन अप्राप्त रहने के कारण सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी

को निदेश दिया गया था कि वे वांछित प्रतिवेदन अविलम्ब जिला में भेजना सुनिश्चित करें। जो अब तक अप्राप्त है।
निदेश दिया गया कि संबंधित प्रतिवेदन अविलम्ब भेजना सुनिश्चित करें ।

(अनुपालन : सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, किशनगंज जि०

22. **सामाजिक, आर्थिक एवं जाति संधारित जनगणना** :– वैसे SECC ड्राफ्ट सूची जो सही ढंग से प्रविष्टि नहीं हुई है के संबंध में समीक्षा की गई । उप विकास आयुक्त, किशनगंज द्वारा बताया गया कि सुधार के लिए प्राप्त दावा/आपत्ति फार्म 'ए' 'बी' 'सी' के निष्पादन के लिए वही प्रक्रिया अपनायी जानी है जो SECC प्रपत्र प्रकाशन के क्रम में अपनाया गया था । उनके द्वारा यह भी कहा गया कि विभागीय निदेशानुसार दिनांक 18.08.2014 तक दावे/आपत्तियों का निष्पादन कर COTS पर Upload करने की अन्तिम तिथि निर्धारित है । निदेश दिया गया कि जितने भी दावा/आपत्ति आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है उन दावा/आपत्ति आवेदन पत्र को जॉच पदाधिकारी सम्प्रति सभी अभिहित पदाधिकारी द्वारा निष्पादन कर प्रतिवेदन हर हालत में दिनांक 17.08.2014 की सुबह तक निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, किशनगंज को हस्तगत करा देंगे ।

(अनुपालन : सभी पदाधिकारी, SEEC)

23. गत बैठक में बहादुरगंज एवं कोचाधामन प्रखंड के महालेखाकार वाद बिहार पटना के क्रमशः दो एवं एक मामले है (1) महालेखाकार की प्रतिवेदन संख्या–158/2006–07 एवं 688/2007–08 की आपत्ति कंडिका 3–4/ का पूर्ण अनुपालन प्रतिवेदन (2) महालेखाकार का प्रतिवेदन संख्या–556/2007–08 की आपत्ति कंडिका 3–4/2010–11 का पूर्ण अनुपालन प्रतिवेदन अविलम्ब भेजना का निदेश दिया गया था, जिसका अनुपालन अप्राप्त है । अनुपालन एक सप्ताह के अन्दर भेजने का निदेश दिया गया ।

(अनुपालन : प्रखंड विकास पदाधिकारी, बहादुरगंज/कोचाधामन)

24. **एम0जे0सी/एल0पी0ए0/ सी0डब्लू0जे0सी0**

माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित लंबित वादों की समीक्षा की गयी । समीक्षा के क्रम में सभी संबंधित पदाधिकारियों को अनुपालन सुनिश्चित कराने तथा भविष्य में सी0डब्लू0जे0सी0 अथवा एम0जे0सी0 से संबंधित मामला प्राप्त होने पर तुरंत तथ्य विवरणी तैयार कर जिला विधि प्रशाखा में जमा करने का निदेश दिया गया । आई0सी0डी0एस0 के कुल 9 मामले लंबित रहने के कारण अधोहस्ताक्षरी द्वारा रोष व्यक्त किया गया एवं अन्तिम चेतावनी देते हुए निदेश दिया गया कि वे व्यक्तिगत रूप से अभिरूचि लेते हुए इन लंबित मामलों का निष्पादन करना सुनिश्चित करेंगे ।

लंबित वादों की सूची के अवलोकन से पता चलता है कि विभिन्न विभागों के स्तर पर प्रतिशपथ पत्र दायर करने हेतु कई मामले लंबित है निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के अन्दर सभी मामलें निष्पादित करना सुनिश्चित करें ।

(अनुपालन : सभी संबंधित पदाधिकारी, किशनगंज जिला)

25. जिला पंचायत राज पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा पिछले जिला समन्वय समिति की बैठक में बताया गया था कि पंचायत निर्वाचन, 2016 के लिए गठित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में वर्ष, 2011 की जनसंख्या को दर्शाते हुए प्रपत्र–1 प्रकाशन कराने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि पुराने प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में वर्ष 2011 की जनसंख्या के ऑकड़ों का प्रकाशन कर वर्ष 2016 का पंचायत आम निर्वाचन कराने की कार्रवाई की जाय एवं तद्नुसार प्रतिवेदन जिला को भेजा जाए ताकि जिला स्तर से समेकित प्रतिवेदन राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा जा सके । समीक्षोपरान्त निदेश दिया गया कि इससे संबंधित प्रतिवेदन दिनांक 17.08.2014 तक भेजना सुनिश्चित करें ।

(अनुपालन : सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी,किशनगंज जिला)

26. पिछले कई बैठकों में आयुक्त महोदय एवं जिला स्तर के सभी पदाधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण की निरीक्षण टिप्पणी पर अनुपालन सुनिश्चित कराने का निदेश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारियों को दिया

जाता रहा है लेकिन उनके द्वारा अपेक्षित रुचि नहीं लिए जाने के कारण मामला लंबित चला आ रहा है निदेश दिया गया कि वे इसका अनुपालन करना सुनिश्चित करें

(अनुपालन : सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी अंचलाधिकारी, किशनगंज जिला)

27. समीक्षा के कम में सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि वरीय पदाधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण के कम में उठाये गये आपत्तियों का निराकरण कर अनुपालन प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करेंगे।

28. **आपूर्त्ति** :–

(a) अधोहस्ताक्षरी द्वारा बताया गया कि कोचाधामन प्रखण्ड के जन वितरण प्रणाली दुकानों का व्यापक ढंग से जांच करवायी गयी है । खाद्यान्न का दर अधिक हो या खाद्यान्न का कम वजन दोनों में गड़बडी की शिकायतें जांच प्रतिवेदन में प्राप्त हुई है । सभी जांच प्रतिवेदन को अनुमंडल पदाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा गया है एवं निदेशित किया गया है कि जो मामले काफी गम्भीर है उन दुकानदारों से स्पष्टीकरण पूछते हुए नियमानुसार अनुज्ञप्ति समाप्त करने की कार्रवाई की जाए एवं शेष सभी दूकानदारों को पारदर्शी कार्यकलाप के निमित अन्तिम चेतावनी निर्गत की जाय ।

साथ ही सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं अंचल अधिकारियों को भी निदेश दिया गया कि वे अपने प्रखण्डान्तर्गत क्षेत्र भ्रमण के दौरान जन वितरण प्रणाली के दुकानों का निरीक्षण अवश्य करें कि वितरण का कार्य चल रहा है या नहीं । वे इसका नियमित अनुश्रवण करते रहेंगे । सरकार का भी स्पष्ट निदेश है कि हर सप्ताह में कम से कम दो दूकानों का व्यापक पैमाने पर जॉच कराया जाए। ऐसा नहीं करने पर भविष्य में यदि किसी जन वितरण प्रणाली दुकानों की गड़बड़ी की शिकायत प्राप्त होती हो तो संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी की संलिप्तता मानी जायेगी । जो भी जन वितरण प्रणाली दुकानदार द्वारा बीच में किसी एक माह का खाद्यान्न का वितरण नहीं किया जाता है तो उनके विरूद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी ।

(b) **राशन कार्ड** :– राशन कार्ड के संबंध में बताया गया कि किशनगंज जैसे छोटा जिले में जितने कार्ड का वितरण हुआ है वह अपेक्षित संख्या से अधिक है, फिर भी आम जनता से उन्हें राशन कार्ड प्राप्त नहीं होने की बराबर शिकायतें प्राप्त हो रही है जो अत्यन्त ही खेदजनक स्थिति है । सभी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि जिस तरह सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत लाभुकों की पहचान कर भौतिक सत्यापन का कार्य सम्पन्न कराया जा रहा है ठीक उसी तरह राशन कार्ड सही आदमी को प्राप्त हुआ है या नहीं इसकी पहचान कर भौतिक सत्यापन का कार्य बहुत जल्द ही किशनगंज जिलान्तर्गत एक अभियान चलाया जाय । यदि इस दरम्यान कोई गलत आदमी पकड़ा जाता है तो उन पर कठोर कार्रवाई की जायेगी । एक–एक जन वितरण दुकानों की जांच की जायेगी कि जन वितरण दुकानदारों के द्वारा उठाव किये गये खाद्यान्न का सही आदमी के पास वितरण किया गया है या नहीं । यदि गलत आदमी के पास खाद्यान्न का वितरण हुआ है तो उस जन वितरण दुकानदार के विरूद्ध कठोरतम दंडणीय कार्रवाई की जायगी ।

(अनुपालन : सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी अंचलाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी/सभी प्रखंड के वरीय पदाधिकारी)

29. **डीजल अनुदान** :–अनियमित मानसुन जैसी आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होने पर सिंचाई के लिए डीजल अनुदान प्रदान करने का प्रावधान सरकार द्वारा प्रदत्त है । सभी अंचलाधिकारियों को निदेश दिया गया कि वे किसानों से आवेदन पत्र प्राप्त करेगें एवं इसकी जॉचोपरान्त प्रस्ताव जिला को भेजें ।

(अनुपालन : सभी अंचलाधिकारी, किशनगंज जिला)

30. **सामाजिक सुरक्षा**

(a) **पेंशन** :– सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की समीक्षा की गई । पेंशन आवेदनों का अपेक्षित संख्या में निष्पादन नहीं होता है यदि हो भी रहा है तो कम्प्यूटर में यह अपलोड नहीं हो रहा है । कुछ प्रखंडों द्वारा लाभुकों से प्राप्त आवेदनों को अपनी अनुशंसा के उपरान्त अनुमंडल में स्वीकृति हेतु भेजा गया है लेकिन अनुमंडल से स्वीकृत्योपरान्त यदि प्रखंडों को प्राप्त नहीं हुआ है तो इससे यह पता नहीं चल पाता है कि किसकी लापरवाही से यह त्रूटि हो रही है ।

सिर्फ प्रखंड से अनुमंडल भेज देने से जवाबदेही समाप्त नहीं हो जाती है। निदेश दिया गया कि संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने कम्प्यूटर सहायक के साथ अनुमंडल के प्रधान सहायक एवं कम्प्यूटर सहायक समन्वय स्थापित कर वास्तविक स्थिति से अवगत हो लेंगे एवं तद्नुसार प्रतिवेदन जिला को समर्पित करना सुनिश्चित करें ।

(b) **पेंशन डाटा बेस** :–बताया गया कि पेंशन डाटा बेस तैयार हो रहा है दिनांक–22.08.2014 तक अन्तिम तिथि निर्धारित है । सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि अपन–अपने प्रखंड का डाटा दिनांक–20.08.2014 तक जिला को संसूचित कर देंगे ताकि जिला स्तर से दिनांक 21.08.2014 तक डाटा संबंधित वेवसाईट पर डाला जा सके ।

(c) प्रखंड विकास पदाधिकारी, बहादुरगंज/टेढ़ागाछ एवं पोठिया को दिनांक–30.07.2014 तथा दिनांक 12.08.2014 को RTGS द्वारा पेंशन वितरण हेतु राशि उपावंटित की गयी थी । निदेश दिया जाता है कि वितरण उपरान्त अवशेष राशि, जो निम्न प्रकार है, RTGS के माध्यम से जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, किशनगंज को भेजना सुनिश्चित करें ताकि अन्य जिन प्रखण्डों द्वारा राशि का विचलन कर पेंशन वितरण का कार्य को सम्पन्न कराया गया है उन प्रखंडों को राशि उपावंटित किया जा सके ।

बहादुरगंज प्रखंड :: मो0 78,43,710.00 रू0

टेढ़ागाछ प्रखंड :: मो0 03,91,910.00 रू0

पोठिया प्रखंड :: मो0 27,48,150.00 रू0

(अनुपालन : सभी संबंधित पदाधिकारी)

31. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद द्वारा बताया गया कि उनके यहॉ 12 मामले लंबित है । उनके द्वारा यह भी बताया गया कि मॉ मनोकामना राईस मिल जो सबसे बड़े बकायेदारों में से एक है को नोटिस का तामिला नहीं कराया जा सका है चूँकि मॉ मनोकामना राईस मिल द्वारा नोटिस स्वीकार नहीं किया जाता है । नोटिस का तामिला नहीं कराये जाने के बिन्दु पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा गया कि इसमें संदेह पैदा होता है कि उक्त मामले में या तो अभिरूचि नहीं लिया जाता है या विपक्ष को फायदा पहुँचाया जा रहा है एवं तुरन्त आवश्यक कार्रवाई करने हेतु अन्तिम निदेश दिया गया ।

(अनुपालन : कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, किशनगंज)

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

ह0/–

(अनिमेष कुमार पराशर, भा.प्र.से.)

जिला पदाधिकारी एवं संमाहर्त्ता,

किशनगंज।

ज्ञापांक 1702/डी0आर0डी0ए0 दिनांक 31/08/2014

प्रतिलिपिः– जिला स्तरीय सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं सभी अंचलाधिकारियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

(अनिमेष कुमार पराशर, भा.प्र.से.)

जिला पदाधिकारी एवं समाहर्त्ता,

किशनगंज।